के मौजा–उबासी तहसील–जायल में तहसीलदार जायल के मार्फत प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शे अनुसार कृषि कार्य के लिए कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता प्रतीत होती है तथा रास्ते का अभाव हस्तगत प्रकरण में सिद्ध पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 01.11.2021 में वर्णनानुसार अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 389 में से माफिक नजरी नक्शा एवं तकमीना वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर से प्रतिकर राशि के एवज में रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 710/390 व 390 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–उबासी तहसील–जायल के खसरा नं. 389 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 01.11.2021 के अनुसार लाल स्याही से डोटेट अनुसार कुल रकबा 0.0012 हैक्टेयर का स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 01.11.2021 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम उबासी तहसील–जायल के खसरा नं. 389 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी मानाराम व भूराराम से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक जयराम को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे।

माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक ....4:10:23.... को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner